


प्रश्न सं. [क. 3986]

परिशिष्ट - १




भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सालक परिवहन और सञ्चार मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यालय / प्रोजेक्ट / Project Implementation Unit



३५, सापात हिल्स, साहरा शिल्प के साथी, इन्दौर वायपास, बिलोली भरतना, इन्दौर (म.प.) 452016

१५, Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Highway, Bileoli Mardana, Indore (M.P.) 452 016

फ़ूरमध्य/फ़ॉन : ०७३१-४९७३०९९ | ई-मेल : Indore@nhai.org, Indorenhai@gmail.com

भारतीय परिवहन/इन्दौर/वीड्यु/2019/ २१५८

दिनांक 08.07.2019

प्रति:

मुख्य अधिकारी (राज्याधिकारी),

आगरा विभाग मुख्य अधिकारी,

लोक नियाण नियाण "नियाण भवन",

प्लॉट नं. 27-28, अरेस हिल्स,

गोपाल (म.प.)

प्रिय : इन्दौर-अहमदाबाद पर प्राधिकरण की अपेक्षा वर्षांती। विधान राज्य अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3986
(राज्य में उत्तर देने का दिनांक 25.07.2019) द्वारा श्री प्रताप वेदाल।

महोदय,

उपरोक्त विषयात्मक उत्तर द्वारा दिए गए परियोजना वारान्सीयन इकाई, इन्दौर से रांचीपुर जानकारी नियान्तुसार

है :-

सं.प्र.	प्रश्न	उत्तर
(१)	भूम्य प्रदेश से गुजराने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल भुत्क हेतु बूथ बनाना, भुत्क राशि तय करना, कार्य अपूर्ण होने पर भी भुत्क वर्षांती की अनुमति देना आदि अनुबंध के प्रावधानों, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008. एवं अनुपर्यांतरों के अंतर्गत किया जाता है। इस रांची में राज्य शासन की कोई भूमिका नहीं है ? क्या प्रदेश के नागरिकों ने हित के लिये राज्य शासन कोई पत्र व्यवहार/वकालती ही कर सकता है ?	प्रदेश से गुजराने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल भुत्क हेतु बूथ बनाना, भुत्क राशि तय करना, कार्य अपूर्ण होने पर भी भुत्क वर्षांती की अनुमति देना आदि अनुबंध के प्रावधानों, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008. एवं अनुपर्यांतरों के अंतर्गत किया जाता है। इस रांची में राज्य शासन के साथ राज्य रामर्यान रामदाता किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्राप्त वकालों का नियान्त्रण उक्त प्रावधानों के अनुलेप्त ही किया जाता है।
(२)	राज्य शासन राष्ट्रीय राज्यमार्ग विभाग से जानकारी प्राप्त कर उपलब्ध करावे कि इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बूथ समान दूरी पर कृष्ण मही जगावे गये तथा इंदौर से 27 किमी दूर बूथ पर 120 रु. कार से निया अनुसार बस्ती की जा रही है ?	इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी 34+450 एवं 118+650 पर टोल बूथ अनुबंध के प्रावधानों के अनुलेप्त ही रामर्यान किये गये हैं। इंदौर से 27 किमी दूर, किमी 34+450 पर स्थित मेटवाडा टोल ब्लाज़ा पर National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008. एवं अनुपर्यांतरों के अंतर्गत टोल वर्षांती किया जा रहा है।

मुख्यालय : ओ-५ म/6, सेक्टर १०, डिल्ली, नई दिल्ली - 110 075
Head Office : G-5 & 6, Sector 10, New Delhi - 110 075

(ग)	रत्नाम कुरातगद ट्रॉलेन कार्य अभी तक स्था क्यों नहीं हुआ ? क्या-क्या कार्य अपूरा है तथा इसमें बन देहे फोरमेन की दो अवग-अलग डी.पी.आर. प्रमाण 18 करोड़ तथा 10 करोड़ की क्यों बनाई गई?	यह खण्ड परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्डौर के अंतर्गत नहीं आता है।
(घ)	लेबड जावरा तथा जावरा नगानांव फोरलेन पर टोल किस दिनांक तक किस अनुबंध के अनुसार बदला जायेगा?	यह खण्ड परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्डौर के अंतर्गत नहीं आता है।

मर्यादा,

महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्डौर

प्रतिलिपि-

- क्षेत्रीय अधिकारी, भारतराष्ट्र, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

इंदौर अहमदाबाद पर प्रतिकर की अवैध वसूली।
 अतारांकित प्रश्न क्र. 3986 द्वारा :— माननीय विधायक श्री प्रताप ग्रेवाल
 प्रश्नांश “ख” प्रपत्र — “अ”

स. क्र	चैनेज (कि.मी.)	शेष कार्य का विवरण
1	25790 से 26020	सम्पूर्ण चौड़ाई में सबग्रेड, सी.आर.एम., डी.एल.सी. एवं पी.क्यू.सी. का कार्य शेष है।
2	30600 से 31250 तक	सम्पूर्ण चौड़ाई में सबग्रेड, सी.आर.एम., डी.एल.सी. एवं पी.क्यू.सी. का कार्य शेष है।
3	33780 से 36850 तक	सम्पूर्ण चौड़ाई में सबग्रेड, सी.आर.एम., डी.एल.सी. एवं पी.क्यू.सी. का कार्य शेष है।
4	44980 से 46350 तक	सम्पूर्ण चौड़ाई में सबग्रेड, सी.आर.एम., डी.एल.सी. एवं पी.क्यू.सी. का कार्य शेष है।

मुख्य अभियंता (यो/ब)
 लोक निर्माण विभाग, भोपाल